



उद्धरण खतीनी

उद्धरण क्रमांक : 14345020231168

ग्राम क्रमांक : 143450 ग्राम का नाम / परगना : सराय शेख(लखनऊ) तहसील : लखनऊ जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1

| खता खतीनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1 | _____2_____ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

| | | | | | | | |
|-------|--|-------|---------|--------|--|--|--|
| 00158 | मो.असलम / इशहाक अहमद / नि.निशातगंज लखनऊ सुहेल अकरम / मो.अकरम / नि.398तीसरी गली निशातगंज लखनऊ सुरेब अकरम / मो.अकरम / नि.398तीसरी गली निशातगंज लखनऊ श्रीमती तसनीम कौशर / पत्नी मो.अकरम / नि.398तीसरी गली निशातगंज लखनऊ | 1482फ | 506सं.ं | 7.8970 | | आदेश उपजिलाधिकारी सदर लखनऊ वाद संख्या T202210460223679/3.4.2023 सुहेल अकरम आदि बनाम उ.प्र.सरकार अंतर्गत धारा 80 उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 विवेचना के आधार पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 07.12.2022 स्वीकार की जाती है। आवेदक सुहेल अकरम व सुरेब अकरम पुत्रगण स्व0 मो0 अकरम व श्रीमती तसनीम कौशर पत्नी स्व0 मो0 अकरम निवासीगण-398 तीसरी गली, निशातगंज लखनऊ के आराजी मौजा सराय शेख की खतीनी वर्ष 1428 से 1433 फसली में स्थित आराजी भूमि खता संख्या 00158 गाटा संख्या 506सं कुल रकबा 7.8970हे0 में से सुहेल अकरम अपने अंश से रकबा 0.253हे0 व सुरेब अकरम अपने अंश से रकबा 0.253हे0 व श्रीमती तसनीम कौशर अपने अंश से रकबा 0.253हे0 अर्थात् कुल रकबा 0.759हे0 को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन अकुषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार सदर की आख्या 07.12.2022 पारित आदेश का अभिन्न अंग | |
|-------|--|-------|---------|--------|--|--|--|

रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमत्त होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उपरोक्त राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

आदेश उपजिलाधिकारी सदर लखनऊ वाद संख्या T202310460210340/27.5.2023 मोहम्मद असलम बनाम उ.प्र.सरकार अंतर्गत धारा 80 उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 19.04.2023 स्वीकार की जाती है। आवेदक मोहम्मद असलम उर्फ मोहम्मद असलम अहमद पुत्र स्व0 मी0 इशहाक अहमद निवासी-398, 3 लेन, नेताजी पार्क के पास, निशातगंज, न्यू हैदराबाद, लखनऊ की वर्तमान खतौनी में स्थित भूमि खाता संख्या-00158 गाटा संख्या-506स कुल रकबा 7.8970हे0 में से रकबा 0.759 हे0 स्थित ग्राम-सराय शौख, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ भूमि को उपरोक्त राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार की आख्या दिनांक 19.04.2023 पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमत्त होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------|----------|---|---|--|
| कुल गाँव- एक | कुल क्षेत्रफल- सात दशमलव आठ नौ सात शून्य (हेक्टेयर) | कुल भू-राजस्व - चार छः दो दशमलव शून्य शून्य रुपये | 1 | 7.8970 | ₹ 462.00 | 2 | 0 | का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आस्था प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। |
|--------------|---|---|---|--------|----------|---|---|--|

Data Digitally Signed by: ASHOK KUMAR SINGH

उपरोक्त उद्घरण खतीनी का डीजिटल साइन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



संलग्न अधिकारी: LALIT KUMAR AGARWAL

तहसील: लखनऊ जमुपदा तहसील

दिनांक एवं समय: 08-11-2023 01:58:38

यह उद्घरण/खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

